SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

धमकाने और छात्रों को चोट पहुँचाने के मामले में स्कूलों की जिम्मेदारी

सुरेश कुमार, विधि विभाग, **भूमिका गर्ग शुक्ला**, एलएल.एम.–भाग–2 (द्वितीय सेमेस्टर)
शा. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
सुरेश कुमार
भूमिका गर्ग शुक्ला
E-mail : sk164365@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 09/02/2026
Revised on : 12/04/2026
Accepted on : 21/04/2026
Overall Similarity : 00% on 13/04/2026

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
0%
Overall Similarity

Date: Apr 13, 2026 (07:38 PM)
Matches: 0 / 902 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found, your document looks healthy.

Verify Report: Scan this QR Code

शोध सार

विद्यालय बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का प्रमुख केंद्र होते हैं किंतु हाल के वर्षों में विद्यालयों में छात्रों के बीच धमकाने, मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा की घटनाएँ बढ़ती हुई देखी गई हैं। ऐसी घटनाएँ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और शैक्षणिक प्रदर्शन पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। भारत में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधिक प्रावधान जैसे Right to Education Act 2009, Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act 2012 तथा Juvenile Justice Act 2015 लागू किए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत विद्यालय प्रशासन पर यह दायित्व होता है कि वे बच्चों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराएँ। यह शोध विद्यालयों की जिम्मेदारियों, विधिक प्रावधानों तथा न्यायिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि स्कूल प्रशासन उचित निगरानी, जागरूकता कार्यक्रम, काउंसलिंग व्यवस्था और अनुशासनात्मक नीति लागू करे, तो बुलिंग और छात्र हिंसा की घटनाओं को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।

मुख्य शब्द

बुलिंग, स्कूल सुरक्षा, छात्र संरक्षण, बाल अधिकार.

परिचय

विद्यालय केवल शिक्षा देने का स्थान नहीं हैं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक विकास का आधार होते हैं। सुरक्षित और सकारात्मक विद्यालय वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है किन्तु वर्तमान समय में कई विद्यालयों में छात्रों के बीच धमकाने (Bullying), शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और साइबर बुलिंग की घटनाएँ सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाएँ बच्चों को मानसिक तनाव, भय और असुरक्षा की स्थिति में डाल देती हैं इस स्थिति में विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करे और छात्रों के लिए

सकारात्मक वातावरण तैयार करे।

शोध के उद्देश्य

1. विद्यालयों में बुलिंग की समस्या का विश्लेषण करना।
2. छात्रों की सुरक्षा से संबंधित विधिक प्रावधानों का अध्ययन करना।
3. विद्यालयों की कानूनी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करना।
4. न्यायालयों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
5. समस्या के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

यह अध्ययन मुख्यतः सैद्धांतिक (Doctrinal Method) पर आधारित है। अध्ययन के लिए निम्न स्रोतों का उपयोग किया गया है:

- विधिक अधिनियम (Statutes)।
- न्यायालयीन निर्णय (Case Laws)।
- शोध पत्र एवं कानूनी पुस्तकें।
- सरकारी रिपोर्ट और नीतिगत दस्तावेज।

बुलिंग की अवधारणा

बुलिंग का अर्थ है किसी छात्र को बार–बार डराना, अपमानित करना या शारीरिक तथा मानसिक रूप से नुकसान पहुँचाना। यह शक्ति के असंतुलन और उत्पीड़न की स्थिति को दर्शाता है।

बुलिंग के प्रमुख प्रकार:

1. **शारीरिक बुलिंग**: मारना, धक्का देना, सामान छीनना।
2. **मौखिक बुलिंग**: गाली देना, अपमान करना।
3. **सामाजिक बुलिंग**: समूह से अलग करना, अफवाह फैलाना।
4. **साइबर बुलिंग**: सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न।

विधिक ढांचा

भारत में बच्चों की सुरक्षा हेतु विभिन्न कानून लागू हैं:

Right to Education Act 2009: यह अधिनियम बच्चों को सुरक्षित और भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है और शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाता है।

POCSO Act 2012: यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है और स्कूल प्रशासन को ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग के लिए बाध्य करता है।

Juvenile Justice Act 2015: यह अधिनियम बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

विद्यालयों की जिम्मेदारी

विद्यालयों की प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:

1. सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना।
2. एंटी–बुलिंग नीति लागू करना।
3. छात्रों की निगरानी और अनुशासन बनाए रखना।
4. शिकायत निवारण समिति का गठन करना।
5. छात्रों के लिए काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना।

न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्यायालयों ने बच्चों की सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है।

Avinash Mehrotra v. Union of India (2009): सुप्रीम कोर्ट ने विद्यालयों में सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बताया।

Parents Forum for Meaningful Education v. Union of India (2001): सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में शारीरिक दंड को असंवैधानिक घोषित किया।

Vishaka v. State of Rajasthan (1997): इस मामले में सुरक्षित वातावरण के सिद्धांत स्थापित किए गए।

चुनौतियाँ

1. जागरूकता की कमी।
2. पर्याप्त निगरानी का अभाव।
3. शिकायत दर्ज करने में हिचकिचाहट।
4. साइबर बुलिंग का बढ़ता खतरा।
5. प्रशासनिक लापरवाही।

निष्कर्ष

विद्यालयों की जिम्मेदारी केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं बल्कि छात्रों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना भी है। बुलिंग और छात्र हिंसा बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर गंभीर प्रभाव डालती है। यदि विद्यालय प्रशासन प्रभावी नीति, निगरानी प्रणाली और जागरूकता कार्यक्रम लागू करे तो इन घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है इसलिए विद्यालय, अभिभावक और समाज के सामूहिक प्रयास से ही सुरक्षित और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

सुझाव

1. विद्यालयों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
2. शिक्षकों को बाल संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए।
3. एंटी–बुलिंग कमेटी का गठन किया जाए।
4. शिकायतों के लिए गोपनीय प्रणाली विकसित की जाए।
5. छात्रों के लिए काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

संदर्भ सूची

1. भारतीय संविधान
2. सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय
3. Right to Education Act 2009
4. POCSO Act 2012
5. Juvenile Justice Act 2015

****